

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक—एफ.1(37)परि./रस्था./080/6713

आदेश

जयपुर, दिनांक २) ५।१८

राजस्थान अधीनरथ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु पूर्व सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरावलोकन बैठक दिनांक 28.03.2018 को सम्पन्न हुई। समिति की सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ लिपिक के पद पर एतद द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

वर्ष 2007-08

1. श्री महेन्द्र सिंह गौड़

श्री गौड़ का नाम वर्ष 2007-08 की चयन सूची में क्र.सं.1 श्री मोहनलाल वर्मा, अजा के ऊपर स्थापित किया जाता है।

2. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामकरण त्रिवेदी

श्री शर्मा का नाम वर्ष 2007-08 की चयन सूची में क्र.सं. 7 श्री तुलसी राम गुर्जर के नीचे व क्र.सं. 8 श्री रामप्रसाद मुंडोतिया के ऊपर स्थापित किया जाता है।

3. श्री सुरेश तनेजा की पदोन्नति वर्ष 2007-08 की रिक्ति के विरुद्ध की गई थी। श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा की पदोन्नति के फलस्वरूप वर्ष 2007-08 में इनके लिए रिक्ति उपलब्ध नहीं होने से इनका नाम वर्ष 2007-08 की चयन सूची/पदोन्नत सूची से विलोपित किया जाता है।

वर्ष 2008-09

1. श्री सुरेश तनेजा

श्री तनेजा का नाम वर्ष 2008-09 की चयन सूची में क्र.सं. 1 श्री अरुण सोरल के नीचे व क्र.सं. 2 श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा के ऊपर स्थापित किया जाता है।

2. श्री ओमप्रकाश स्वर्णकार

श्री स्वर्णकार का नाम वर्ष 2008-09 की चयन सूची में क्र.सं. 9 श्री घासीलाल बैरवा के नीचे स्थापित किया जाता है। श्री स्वर्णकार की पूर्व में पदोन्नति वर्ष 2009-10 की रिक्ति के विरुद्ध की गई थी। वर्ष 2009-10 की चयन सूची/पदोन्नत सूची से इनका नाम विलोपित किया जाता है।

वर्ष 2009-10

1. श्री महेश चन्द कटारिया (स्वर्गवास दिनांक 13.05.2017)

श्री कटारिया का नाम वर्ष 2009-10 की चयन सूची में क्र.सं. 1 श्री ओमप्रकाश स्वर्णकार के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है।

5/5

2. श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री हरभजन गुप्ता

श्री गुप्ता का नाम वर्ष 2009-10 की चयन सूची क.सं. 3 श्रीमती मीना वर्मा के नीचे व
क.सं. 4 श्री प्रमोद वशिष्ठ के ऊपर स्थापित किया जाता है।
वर्ष 2010-11

1. श्रीमती विनीता मीणा (अजजा)

श्रीमती मीणा का नाम वर्ष 2010-11 की चयन सूची में क.सं. 1 श्री जोधसिंह के नीचे
स्थापित किया जाता है। श्रीमती मीणा की पदोन्नति पूर्व में वर्ष 2012-13 में की गई
थी। वर्ष 2010-11 में इनके लिए रिक्त उपलब्ध होने से इनकी पदोन्नति की जा रही
है। इनका नाम वर्ष 2012-13 की चयन सूची/पदोन्नत सूची से विलोपित किया जाता
है।

वर्ष 2011-12

1. श्री कृष्ण मुरारी

श्री कृष्ण मुरारी का नाम वर्ष 2011-12 की चयन सूची में क.सं. 1 श्री छोटूसिंह के
नीचे स्थापित किया जाता है।

2. श्री विजयपाल सिंह

श्री सिंह का नाम वर्ष 2011-12 की चयन सूची में क.सं. 6 श्री राधेश्याम यादव के
नीचे व क.सं. 7 श्री मोहम्मद यूनुस के ऊपर स्थापित किया जाता है।

वर्ष 2012-13

1. श्री लक्ष्मीचन्द मीणा (अजजा)

श्री मीणा का नाम वर्ष 2012-13 की चयन सूची में श्रीमती विनीता मीणा के स्थान पर
प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. श्री सत्यनारायण शर्मा

श्री शर्मा का नाम वर्ष 2012-13 की चयन सूची में क.सं. 9 श्री अशोक कुमार शर्मा के
नीचे व क.सं. 10 श्री हेमन्त इन्दौरिया के ऊपर स्थापित किया जाता है।

वर्ष 2013-14

1. श्री आसिफ अहमद

श्री अहमद का नाम वर्ष 2013-14 की चयन सूची में क.सं. 9 श्री पवन कुमार के नीचे
व क.सं. 10 श्री जगजीत सिंह के ऊपर स्थापित किया जाता है।

2. श्री भूपेन्द्र सिंह राठौड़

श्री राठौड़ का नाम वर्ष 2013-14 की चयन सूची में क.सं. 15 श्री दरिया सिंह के नीचे
व क.सं. 16 श्री भुवनेश भोजक के ऊपर स्थापित किया जाता है।

पदोन्नत कार्मिक अग्रिम आदेश तक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत रहेंगे।
सभी पदोन्नत कार्मिक अपने पद का कार्यग्रहण दिनांक 05.04.2018 तक कर लेवें एवं उसकी
सूचना आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवादे अन्यथा पदोन्नति आदेश निरस्त किये जा
सकते हैं।

श्री दिनेश कुमार मीणा (अजजा) (2007–08), श्री प्रकाश चन्द शर्मा (सेवानिवृत्त 31.12.2013) (2007–08), श्री रमेश वरियानी (2009–10), श्री घनश्याम दत्त शर्मा (2013–14) व श्री सुनील वर्मा, अजा (2013–14) के विरुद्ध जारी जांच/एसीबी प्रकरण/न्यायालय प्रकरण अभी भी विचाराधीन होने से इनके प्रकरण यथावत सील्ड कवर में रखे गये हैं। इन सभी के लिए उनके सम्मुख अंकित वर्ष में पद रिक्त रखे गये हैं।

श्री शंकर लाल जाट (2010–11), श्री हजारी लाल बैरवा, अजा (2012–13), श्री मोहन लाल शर्मा (स्वर्गवास दिनांक 24.09.2012) (2012–13), श्री श्योदान राम सैनी (2012–13), श्रीमती सीमा तंवर (2012–13), श्री संजीव कुमार भदोरिया, अजा (2013–14), श्री ओमप्रकाश शर्मा (2013–14) व श्री रामकिशन मीणा, अजजा (2013–14) के प्रकरण एसीआर/अमिलेख पूर्ण नहीं होने से डैफर किये गये हैं। इन सभी के लिए उनके सम्मुख अंकित वर्ष में पद रिक्त रखे गये हैं। श्रीमती सीमा तंवर के विरुद्ध एसीबी का प्रकरण भी विचाराधीन है।

— 5 —

(डॉ मनीषा अरोड़ा)

अपर परिवहन आयुक्त(प्रशा.)

एवं संयुक्त शासन सचिव

6714 - 6720
24/07/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अति मुख्य सचिव महोदय
3. निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) एवं संयुक्त शासन सचिव
4. संबंधीत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी-----
5. संबंधित कार्मिक -----
6. संबंधित कार्मिक की निजी पत्रावली
7. रक्षित पत्रावली

(सत्त्वर खान)

उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन)